लाल परेड ग्राउंड में सीएम फहराएंगे ध्वज

स्वतंत्रता दिवस पर सीएम ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे

- मुख्यालय में जनपद अध्यक्ष करेंगे ध्वजारोहण
- सरकारी कार्यालयों में सबेरे 8 बजे से पहले होगा ध्वजारोहण

प्रशासनिक संवाददाता
भोपाल, 12अगस्त. प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ पर राष्ट्रभक्ति से ओत-प्रोत कार्यक्रम होंगे. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउण्ड में होने वाले राज्य स्तरीय समारोह में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे और प्रदेश की जनता के नाम संदेश देंगे. मुख्यमंत्री के संदेश का सीधा प्रसारण जिला मुख्यालयों पर आयोजित समारोह में किया जाएगा. मुख्य समारोह के पहले मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा शौर्य स्मारक में शहीदों को श्रद्धांजलि दी जायेगी.

जिला स्तर पर प्रात: 9 बजे से आयोजन किया जाएगा, जिनमें विधानसभा अध्यक्ष,मंत्रीगण एवं कलेक्टर्स द्वारा ध्वजारोहण और राष्ट्रगान होगा एवं परेड की सलामी ली जाएगी. मुख्यमंत्री द्वारा संदेश वाचन प्रात: 9.25 से 9.55 बजे तक किया जाएगा, जिसका सीधा प्रसारण राज्यस्तरीय मुख्य समारोह, भोपाल से किया जाएगा. उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष, मंत्रीगण एवं कलेक्टर्स द्वारा संक्षिप्त बधाई संदेश का वाचन किया जाएगा. जनपद पंचायत मुख्यालय पर जनपद अध्यक्षों द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा तथा समारोह में सामूहिक राष्ट्र गान गाया जाएगा. ऐसी नगर पालिका/नगर परिषद जिनका मुख्यालय ब्लॉक मुख्यालय पर नहीं है, उनमें नगर पालिका, नगर परिषद अध्यक्ष द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा और राष्ट्र गान गाया जाएगा. पंचायत मुख्यालय पर सरपंच द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा और राष्ट्र गान गाया जाएगा. कार्यक्रमों में सभी संसद सदस्य, विधायक गण, महापौर, पार्षद एवं अन्य गणमान्य नागरिकों को सम्मान पूर्वक आमंत्रित किया जायेगा. सभी शासकीय कार्यालयों, शिक्षण संस्थाओं में प्रात: 8 बजे या उसके पूर्व ध्वजारोहण होगा. उसके बाद सांस्कृतिक, साहित्यिक कार्यक्रम आयोजित किए जायेंगे. सभी शिक्षण संस्थाओं में प्रात: काल प्रभातफेरी का आयोजन किया जायेगा.

आज नशामुक्ति शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे सीएम

भोपाल. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बुधवार 13 अगस्त को राज्य स्तरीय वृहद नशामुक्ति शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे. कार्यक्रम रवीन्द्र भवन के हंसध्वनि सभागार में प्रात:11.30 बजे से होगा. सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण मंत्री नारायण सिंह कुशवाह भी मौजूद रहेंगे. नशामुक्त भारत अभियान की पांचवीं वर्षगांठ के अवसर पर होने वाले इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जनजागरूकता बढ़ाना और समाज को नशामुक्त बनाने के संकल्प को सशक्त करना है. सरकार ने नागरिकों से आह्वान किया है कि वे इस मुहिम में सक्रिय भागीदारी निभाएं और नशे को पहली बार ना, और हर बार ना, का संदेश अपने परिवार और समुदाय तक पहुंचाएं. कार्यक्रम में वर्ष 2023-24 के विजेतानन्द नशामुक्ति पुरस्कार का वितरण एवं सिंगल क्लिक के माध्यम से पेंशन राशि का वितरण किया जाएगा.

कांग्रेस का 'वोट सत्याग्रह' रीवा से शुरू

पटवारी बोले - मुद्दा राजनीतिक नहीं, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा का है

भोपाल/जबलपुर,12 अगस्त. कथित वोट चोरी के खिलाफ देशव्यापी अभियान के तहत कांग्रेस की मध्यप्रदेश इकाई ने आज से रीवा से 'वोट सत्याग्रह' की शुरुआत कर दी है. इसके साथ ही पार्टी पूरे प्रदेश में भाजपा सरकार का पुतला दहन करेगी. कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, वरिष्ठ नेता, विधायक और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बताया कि यह आंदोलन केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि जनता के वोट के अधिकार, संविधान और लोकतांत्रिक आस्था की रक्षा का प्रयास है. उन्होंने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक और मध्यप्रदेश में भाजपा ने चुनाव आयोग की मदद से जनादेश को 'मैनिपुलेट' किया. पटवारी ने कहा कि देश के लगभग 300 सांसद, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में चुनाव आयोग से मिलने गए थे, लेकिन सरकार ने सभी सांसदों को हिरासत में ले लिया.

जबलपुर में संवाददाताओं से चर्चा में पटवारी ने कहा कि 'वोट सत्याग्रह' का उद्देश्य वोट की पवित्रता बनाए रखना है. उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग अब भाजपा के लिए काम करने वाला 'तोता' बन गया है और राहुल गांधी इसके प्रमाण पेश कर रहे हैं. पटवारी ने दावा किया कि मध्यप्रदेश में कांग्रेस द्वारा मुद्दा उठाए जाने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट बंद कर दी गई. उन्होंने आरोप लगाया कि कई इलाकों में एक ही पते पर 50 से अधिक मतदाता दर्ज हैं और यह ज्यादातर वे क्षेत्र हैं जहां भाजपा लगातार जीतती है. पटवारी ने कहा कि राहुल गांधी की लड़ाई राजनीतिक लाभ के लिए नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र की रक्षा के लिए है.

एक नजर में

दो वाहन से 7 लाख की शराब जब्त

रतलाम. जिले में अवैध शराब तस्करी रोकने पुलिस की लगातार कार्रवाई के बावजूद तस्कर बाज नहीं आ रहे हैं. सोमवार-मंगलवार रात पुलिस ने अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई कर बीयर व शराब से भरे दो वाहन पकड़े. जब्त माल की कीमत करीब 6 लाख 97 हजार रुपये आंकी गई है. नामली थाना पुलिस ने एएसपी राकेश खाखा, एसडीओपी किशोर पाटनवाला के मार्गदर्शन और थाना प्रभारी कन्हैया अवास्या के नेतृत्व में महू-नीमच हाईवे पर बड़ोदा फंटा के पास नाकाबंदी की. लोडिंग पिकअप (जीजे-01-केटी-3994) रोकी गई.

प्रधान आरक्षक ने ली 4,500 की रिश्वत

सतना. लोकायुक्त पुलिस ने मंगलवार को मैहर जिले के देहात थाना क्षेत्र में पदस्थ प्रधान आरक्षक श्यामलाल चौधरी को नगर सैनिक बृजेंद्र मिश्रा के साथ 4,500 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया. लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक के अनुसार, शिकायतकर्ता आनंद कुमार कुशवाहा के खिलाफ दर्ज मामले में और अधिक धाराएं न लगाने के एवज में आरोपी प्रधान आरक्षक ने 10,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी. पहले ही 5,500 रुपये ले चुके आरोपी को मंगलवार को थाना परिसर में शेष 4,500 रुपये लेते समय दबोच लिया गया.

ओबीसी पर सुनवाई अगले माह

सीएम बोले - 27 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध

भोपाल,11 अगस्त. मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर लंबे समय से जारी कानूनी लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सतत प्रयासों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के पक्ष में मामला स्वीकार करते हुए 23 सितंबर 2025 से अंतिम सुनवाई तय की है.

यह मामला 'टॉप ऑफ द बोर्ड' श्रेणी में रखा गया है, यानी निर्णय आने तक रोज सुनवाई होगी. यह सुनवाई 2019 के मध्यप्रदेश लोक सेवा (एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण) संशोधन अधिनियम की संवैधानिक वैधता से जुड़ी है.

राज्य सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, एएसजी के एम. नटराज और महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश से भर्तियों में आ रही बाधाओं पर चिंता जताई और शीघ्र सुनवाई का आग्रह किया, जिसे अदालत ने मान लिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है.

साप्ताहिक जनसुनवाई में पुलिस-जन संवाद हुआ और मजबूत

नवभारत न्यूज
सीधी 12 अगस्त जिले में नागरिकों की समस्याओं का तत्काल समाधान और जनविश्वास को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई का आयोजन आज पुलिस अधीक्षक डॉ. रविंद्र वर्मा की अध्यक्षता में पुलिस अधीक्षक कार्यालय स्थित सभागार में किया गया।

जनसुनवाई में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिकों ने घरेलू विवाद, भूमि विवाद, मारपीट एवं साइबर अपराध संबंधी शिकायतें प्रस्तुत कीं। पुलिस अधीक्षक ने सभी प्रकरणों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित थाना प्रभारियों को तत्काल और प्रभावी कार्रवाई के स्पष्ट निर्देश दिए। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविंद

श्रीवास्तव, डीएसपी मुख्यालय अमन मिश्रा, नवनियुक्त डीएसपी शुभम जैन, थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक कन्हैया सिंह बघेल, महिला थाना प्रभारी श्रीमती रीता त्रिपाठी एवं थाना जमोड़ी प्रभारी उप निरीक्षक दिव्य प्रकाश त्रिपाठी भौतिक रूप से मौजूद रहे, जबकि अन्य अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। जनसुनवाई की मुख्य विशेषता थी कि महिला फरियादियों की समस्याओं को संवेदनशीलता और तत्परता से सुनते हुए, तत्काल कार्रवाई हेतु आदेश जारी किए गए।अधिकतर शिकायतें जमीन संबंधी विवाद और पारिवारिक कलह से जुड़ी रहीं, जिनके त्वरित समाधान हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए।कई मामलों में अधिकारियों को जनसुनवाई के दौरान ही कार्रवाई प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए, ताकि शिकायतों का समयबद्ध निपटारा हो सके।

नौढ़िया एवं जियावन में निकाली तिरंगा यात्रा

विधायक सहित अन्य गणमान्य नागरिक हुये शामिल

नवभारत न्यूज
देवसर 12 अगस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशानुसार स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय व प्रदेश संगठन के मंशानुरूप आयोजित तिरंगा यात्रा राष्ट्र भक्ति एकता और गर्व का संदेश जन-जन तक पहुंचाने के संकल्प के साथ सिहावल विधायक विश्वामित्र पाठक के मुख्य आतिथ्य में एवं भाजपा जिला महामंत्री राजकुमार द्विवेदी की अगुवाई में मंडल नौढ़िया एवं जियावन में तिरंगा यात्रा निकाली गई ।

तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में राष्ट्रभक्तों ने शामिल हो कर हाथों में तिरंगा लेकर राष्ट्रप्रेमी जयकारों से वातावरण को गुंजायमान करते रहे।

इस अवसर पर मुख्य रूप से प्रणव पाठक अध्यक्ष जनपद पंचायत देवसर, रमेश द्विवेदी मंडल अध्यक्ष नौढ़िया, रमापति साहू मंडल अध्यक्ष जियावन, शिवम शुक्ला प्रदेश प्रवक्ता, कमलेन्द्र चतुर्वेदी, संतोष द्विवेदी, सुरेशकान्त द्विवेदी, रवि प्रजापति, भगवान दास गुप्ता, रंगलाल साहू, रावेंद्र द्विवेदी सरपंच धनहा, कालीचरण चतुर्वेदी, रामप्रकाश बैस सरपंच ईटार, रावेंद्र तिवारी, शिवेश द्विवेदी, सरोज चतुर्वेदी, नंदलाल सिंह, अंजनी बैस, लल्लू यादव, प्रभात चतुर्वेदी, प्रेमकुमार चतुर्वेदी, विकास गुप्ता सहित अन्य मौजूद रहे।

ध्वजारोहण के लिए मंत्रियों के जिले बदले

प्रशासनिक संवाददाता
भोपाल, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जिलों में होने वाले मुख्य समारोह में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेने के लिये चार मंत्रियों के जिले एक दिन बाद ही बदल दिये गये हैं. पहले प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को सतना जिले में होने वाले समारोह में हिस्सा लेना था, लेकिन अब उसे बदलकर धार जिला कर दिया गया है.

दरअसल विजयवर्गीय इंदौर के रहने वाले हैं और उन्हें बेहद दूर का जिला आवंटित कर दिया गया था, जिसे लेकर वे असहज थे, बताया जा रहा है कि उन्होंने इस

संबंध में औपचारिक अनुरोध किया था, उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए अब उन्हें धार जिला आवंटित किया गया है. इसी तरह किसासन कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री एदल सिंह कंसाना को पहले छतरपुर जिले में होने वाले मुख्य समारोह में हिस्सा लेना था, लेकिन अब उनके आग्रह के बाद उन्हें दतिया जिला दिया गया है, जहां वे स्वतंत्रता दिवस के समारोह में हिस्सा लेंगे.

इधर यही स्थिति ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के साथ बन रही थी, उन्हें 11 अगस्त को सामान्य प्रशासन विभाग ने पांढुर्ना जिला तय किया था, जो कि उनके ग्वालियर जिले से अधिक दूरी पर स्थित है.

> उन्होंने आसपास का जिला आवंटित करने का आग्रह किया था, उसके बाद मंगलवार को नये आदेश में उन्हें शिवपुरी जिला दिया गया है, जहां वे जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे. इसी क्रम में राज्य मंत्री राधा सिंह को पहले मैहर जिला दिया गया था, जिसे बदलकर अब सिंगरौली जिला कर दिया गया है.

सहकारी समितियों के कर्मचारियों ने सौंपा ज्ञापन

नवभारत न्यूज
सिंगरौली 12 अगस्त। सेवा सहकारी समिति पैक्स के कर्मचारियों ने स्थानीय एवं प्रांतीय मांगों को लेकर आज मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन सिंगरौली को ज्ञापन सौपा है।

म.प्र. सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ भोपाल के प्रदेश सह सचिव सीता प्रसाद यादव एवं जिलाध्यक्ष हिमांशु पाठक के अगुवाई में आज सहकारी समिति पैक्स के कर्मचारियों ने विभिन्न मांगो को लेकर ज्ञापन सौपते हुये कहा कि यदि शीघ्र ही समस्याओं का निराकरण नही किया गया तो 22 अगस्त को मुख्यमंत्री के निवास का घेराव कर भोपाल में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन एवं आंदोलन किया जाएगा।

कांवड़ यात्रा में मौतों को लेकर समिति और प्रदीप मिश्रा पर कार्रवाई की मांग

सीहोर, 12 अगस्त . सीहोर में 6 अगस्त को श्री विट्ठलेश सेवा समिति और कुबेरेश्वरधाम के प्रदीप मिश्रा द्वारा आयोजित कांवड़ यात्रा में अव्यवस्थाओं के चलते हुई मौतों और घायलों के मामले में कार्रवाई की मांग तेज हो गई है. सर्व ब्राह्मण समाज के पूर्व उपाध्यक्ष पंकज शर्मा ने भोपाल पहुंचकर संभागायुक्त, आईजी और डीआईजी को ज्ञापन सौंपते हुए समिति और प्रदीप मिश्रा पर गैर इरादतन हत्या सहित अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की मांग की.पंकज शर्मा ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार के प्रतिबंध के बावजूद यात्रा में एक दर्जन से अधिक डीजे बजाए गए,

200 लीटर अवैध डीजल के साथ बुलेरो वाहन जप्त

नवभारत न्यूज
सिंगरौली 12 अगस्त। मोरवा पुलिस ने आज एक बुलेरो वाहन से 200 लीटर चोरी का डीजल जप्त कर कार्रवाई की है।

जानकारी के अनुसार मुखबिरो के जरिये सूचना मिली एनसीएल परियोजना झिंगुरदह एक से बुलेरो वाहन पॉच जेरकिन में चोरी का डीजल बेचने लाया जा रहा है। टीआई यूपी सिंह ने तत्काल टीम गठित कर रवाना किया। जहां मंगलवार की शाम करीब 4 बजे पुलिस ने झिंगुरदह में वाहन को घेराबंदी कर दबोचते हुये वाहन में

सवार बाबूराम जायसवाल एवं अमरजीत विश्वकर्मा निवासी अनपरा को कब्जे में लेते हुये पूछतांछ कर थाने लाई। जहां दोनों आरोपियों के विरूद्ध ईसी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। जप्त डीजल का कीमत 5 लाख रूपये अधिक है। उक्त कार्रवाई में उनि एमपी तिवारी, एएसआई उमेश अग्निहोत्रि, कॉन्स्टेबल आकाश पटेल, सौरभ सिंह, सर्वेस यादव, अमित द्विवेदी, मो. रियाज, ऋषि सिंह एवं संजीव सिंह की भूमिका महत्वपूर्ण रही।

सागर में बस पलटी सभी यात्री सुरक्षित

सागर. जिले के राहतगढ़ थाना क्षेत्र में सागर से इंदौर जा रही यात्री बस ग्राम बरखेड़ी के पास मसुरयाई तिराहे पर अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे में पुलिसकर्मियों की सूझबूझ और त्वरित कार्रवाई से सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. पुलिस के अनुसार बस के पीछे पुलिस लाइन सागर के आरक्षक अंकित गुरु और देवेंद्र रैकवार अपनी गाड़ी से जा रहे थे. उन्होंने तुरंत बस के कांच तोड़कर यात्रियों को बाहर निकालना शुरू किया और कंट्रोल रूम को सूचना दी.

न्यायालय श्रीमान् नजूल अधिकारी महोदय सतना जिला सतना म0 प्र0

राकेश साहू पिता स्व0 जगनराम साहू
......आवेदक
बनाम
जगनराम साहू वगै0 सतना (म.प्र.)
3-रंची देवी वेवा काशी पसाद जायसवाल
4-वंशीलाल तनय काशी प्रसाद जायसवाल
5-रामखेलावन तनय काशी प्रसाद जायसवाल
सभी निवासी वार्ड नं. 17 सुभाष चौक सतना तहसील रघुराजनगर जिला सतना म.प्र.
.....अनावेदकगण

नोटिस

नोटिस के जरिये अनावेदक गणो को सूचित किया जाता है कि आवेदक द्वारा न्यायालय श्रीमान् नजूल अधिकारी महोदय सतना के समक्ष इस न्यायालय में दावा प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में अनावेदकगणो की तलवी हेतु नियत है ।
अतः आप प्रकरण में नियत दिनांक 15/09/2025 को स्वतः अथवा आपने अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन कर सकते है। सूचना उपरांत भी अनुपस्थित रहने पर आपके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी। नियत दिनांक को अवकाश होने की स्थित में प्रकरण की सुनवाई अगले दिन की जावेगी ।
पेशी दिनांक 15/09/2025
दिनांक 11/08/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी.
न्यायालय की मुद्रा
नजूल अधिकारी
रघुराजनगर जिला सतना म.प्र.

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है मैं कि प्रियांशु बेनिवाल पिता श्री रजनिश सिंह उम्र 19 वर्ष, निवासी-जवा, जवान, पो.जवान, जिला-बुलन्दशहर, (उ.प्र.) हाल पता-एन.टी.पी.सी. कालोनी विन्ध्यनगर, तह. व जिला-सिंगरौली (म.प्र.) का हूँ। मेरा आधार संख्या-9577 1908 2687 है। यह कि मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि मैं कक्षा 10वीं व 12वीं की परीक्षा डी-पॉल स्कूल विन्ध्यनगर जिला-सीधी (वर्तमान में सिंगरौली) (म.प्र.) से उत्तीर्ण किया हूँ, जहां मेरी 10वीं की अंकसूची में मेरी माता का नाम SAVITA BENIWAL एवं पिता जी का नाम R S BENIWAL सहवन लेख कर दिया गया है, जो कि उक्त नाम गलत है। मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि मेरी माता का सही एवं वास्तविक नाम सविता चौधरी (SAVITA CHAUDHARY) एवं पिता का सही एवं वास्तविक नाम रजनिश सिंह (RAJNISH SINGH) है जो उक्त सही नाम मेरे माता-पिता के आधार कार्ड व मेरे आधार कार्ड एवं मेरी 12वीं की अंकसूची में अंकित है, जो सही एवं सत्य है। यह कि शपथ पत्र मेरी 10वीं की अंकसूची में मेरे माता-पिता का उपरोक्त वर्णित सही एवं वास्तविक नाम को दर्ज/सुधार करवाये जाने बावत् निष्पादित करा रहा हूँ।
हस्ता-शपथकर्ता

नाम परिवर्तन सूचना

मै कृष्ण कुमार मिश्रा निवासी ग्राम मऊ बगदरा (पुरानी मऊ), पो.बरहटा थाना व तहसील मऊगंज जिला -मऊगंज (म.प्र.) का होकर सूचित कर रहा हूं कि मेरे पुत्र का नाम पहले शिव मौर्य मिश्रा आत्मज श्री कृष्ण कुमार मिश्रा था, मेरे पुत्र के कुछ दस्तावेजों उसका नाम शौर्य मिश्रा दर्ज है और कुछ दस्तावेजों शिव शौर्य मिश्रा दर्ज है. अतः मेरे पुत्र का नाम शिव शौर्य मिश्रा के स्थान पर शौर्य मिश्रा दर्ज किया जाए,तथा आज दिनांक के बाद मेरे पुत्र को नये नाम शौर्य मिश्रा के नाम से जाना पहचाना एवं संबोधित किया जाए.
कृष्ण कुमार मिश्रा

नाम परिवर्तन सूचना

मै घोषणा करती हूँ कि पूर्व मे मेरा नाम जो शैक्षणिक दस्तावेज मे SIMMY SAWLANI था। जिसे मै बदल कर अब अपना नया नाम SIMMI SAWLANI कर ली हूं कृपया अब से मुझे नये नाम SIMMI SAWLANI D/O RAJKUMAR SAWLANI के नाम से जाना एवं पहचाना एवं संबोधित किया जाय एवं आगे के सभी दस्तावेजों में दर्ज किया जाय तथा मेरे निवास का पता- HOUSE NUMBER 01 UKHARI ROAD OPP YANG BALD PRES, SHITAL PURI COLONY BALDEVBAGH, JABALPUR, DISTT JABALPUR (M.P.) है।

कार्यालय नगर परिषद चित्रकूट, जिला-सतना (म0प्र0)
E-mail - cmochitrakoot@mpurban.gov.in Phone:- 07670-265329, Fax - 07670-265677
क्रमांक / E-Tender / तकनीकी/2577/2025 चित्रकूट दिनांक 25-7-25

ई निविदा आमंत्रण सूचना

नगर परिषद चित्रकूट द्वारा निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों से ऑलाईन निविदायें नामंत्रित की जाती है। निविदा की विस्तृत विवरण वेबसाइट http://mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है।

क्र.	टेण्डर नं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	अमानत राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्य की अवधि
1	2025 _UAD_ 443252_1	वार्ड क्र. 12 रजौला में सतना मेन रोड से हरियाली तक सी.सी. रोड, नाली एवं पुलिया निर्माण कार्य.	6258877	46942	10000	6 माह
2	2025_UAD_ 443252_2	वार्ड क्र. 08 पोखरवार में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य.	1697550	12732	2000	4 माह

शर्तें:-
1. निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाईन http://mptenders.gov.in की वेबसाइड पर की दिया जावेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नही किया जावेगा।
2. निविदा प्रपत्र केवल ऑनलाइन दिनांक 08/08/2025 को 13.30 बजे से 09/09/2025 में 17.30 बजे तक क्रय एवं भरे जा सकते हैं।
3. निविदा समस्त शर्तें निविदा प्रपत्र अनुसार होगी।
4. जिन संविदाकारों को निकाय द्वारा ब्लैक लिस्टेड या प्रतिबंधित किया गया है एवं जिन संविदाकारों द्वारा अनुबंध नही किया गया है, वह निविदा में भाग नही ले सकते हैं, और ना ही उनकी निविदायें खोली जायेगी।
5. ठेकेदार द्वारा किये गये निर्माण कार्य का भुगतान निकाय में बजट उपलब्ध होने पर ही किया जावेगा जो ठेकेदार को मान्य एवं स्वीकार होगा।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद चित्रकूट, सतना (म.प्र.)

कार्यालय नगर परिषद गुनौर जिला पन्ना (म.प्र.)
Email- cmogunour@mpurban.gov.in
क्र. / 1106/राजस्व /2025 गुनौर दिनांक 30.7.25

सार्वजनिक सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर परिषद गुनौर राजस्व वसूली कार्य हेतु कराये गये जी.आई.एस. सर्वे की अंतिम रिपोर्ट संस्था द्वारा नगर परिषद गुनौर में जमा कर दी गयी है। चूंकि इस सर्वे में कदाचित त्रुटियां जैसे संपत्ति के स्वामी का नाम, स्थान, क्षेत्रफल आदि के पाये जाने की संभावना है। इस सर्वे को लागू करने से पूर्व निकाय द्वारा दावा आपत्तियां आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया है।
अत: किसी व्यक्ति के सर्वे के संबंध में कोई आपत्ति है तो वह दिनांक 01/08/2025 से 31/08/2025 तक कार्यालयीन दिवसों में नगर परिषद कार्यालय में आकर अपनी प्रविष्टि की जांच कर उचित दस्तावेजों सहित दावा आपत्ति लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के उपरांत प्राप्त दावे आपत्तियां पर कोई विचार न करते हुये सर्वे की प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर ही लागू किया जायेगा।
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद गुनौर, जिला पन्ना (म.प्र.)

न्यायालय, आयुक्त कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, श्रम न्यायालय सतना म0प्र0
प्रकरण कमांक 29/24 डब्लू सी वि0
मीना साकेत व अन्य
- बनाम-
पंकज तनय बैकुण्ठ प्रसाद चतुर्वेदी

सूचना-पत्र

उपरोक्त प्रकरण में आपको / सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मृतक स्व0 दीप नारायण साकेत श्रमिक पंकज ब्रा. पिता बैकुण्ड प्रसाद चतुर्वेदील के कार्य के दौरान दिनांक 01.04.18 को दुर्घटना में मृत्यु हो गई है व श्रमिक के नियोक्ता द्वारा रु 639200.00 /- मृतक के आश्रितों में वितरण के लिए जमा कराया है।
उपरोक्त प्रकरण में क्षतिपूर्ति धन के वितरण हेतु सुनवाई दिनांक 23.09.2025 को नियत की गई है।
अतः जो व्यक्ति/आप कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम की धारा 2 डी के अंतर्गत मृतक के आश्रित हों तो वह सुनवाई दिनांक 23.09.2025 को ठीक 11.00 बजे उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र एवं साक्ष्य नियमानुसार प्रस्तुत करें।
मृतक के आश्रित होने के प्रमाण हेतु स्थानीय मजिस्ट्रेट कलेक्टर या किसी शासकीय विज्ञप्ति अधिकारी द्वारा स्वयं का चित्र सत्यापित करवाकर पहचान हेतु प्रस्तुत करें।
यदि हो तो मृतक के नाबालिग बच्चों को भी साथ ले आवे। साथ ही मृतक के आश्रित का स्थानीय पंचायत या नगर पालिका का प्रमाण पत्र एवं दो गवाह भी ले आवे।
मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 12.08.25 को जारी किया गया।
अदालत की मुद्रा
अभिषेक कुमार त्रिपाठी
आयुक्त कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधि0
श्रम न्यायालय सतना म0प्र0

न्यायालय, आयुक्त कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, श्रम न्यायालय सतना म0प्र0
प्रकरण कमांक 27/25 डब्लू सी वि0
पुष्पा कुशावाहा व अन्य
- बनाम-
श्री खम्भा बाबा लोजस्टिक व अन्य

सूचना-पत्र

उपरोक्त प्रकरण में आपको / सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मृतक स्व0 अजय कुशवाहा श्रमिक का श्री खम्भबाबा लोजस्टिक के कार्य के दौरान दिनांक 18.08.20 को दुर्घटना में मृत्यु हो गई है व श्रमिक के नियोक्ता द्वारा रु 7,50000.00 /- मृतक के आश्रितों में वितरण के लिए जमा कराया है।
उपरोक्त प्रकरण में क्षतिपूर्ति धन के वितरण हेतु सुनवाई दिनांक 17.09.2025 को नियत की गई है।
अतः जो व्यक्ति/आप कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम की धारा 2 डी के अंतर्गत मृतक के आश्रित हों तो वह सुनवाई दिनांक 17.09.2025 को ठीक 11.00 बजे उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र एवं साक्ष्य नियमानुसार प्रस्तुत करें।
मृतक के आश्रित होने के प्रमाण हेतु स्थानीय मजिस्ट्रेट कलेक्टर या किसी शासकीय विज्ञप्ति अधिकारी द्वारा स्वयं का चित्र सत्यापित करवाकर पहचान हेतु प्रस्तुत करें।
यदि हो तो मृतक के नाबालिग बच्चों को भी साथ ले आवे। साथ ही मृतक के आश्रित का स्थानीय पंचायत या नगर पालिका का प्रमाण पत्र एवं दो गवाह भी ले आवे।
मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 11.08.25 को जारी किया गया।
अदालत की मुद्रा
अभिषेक कुमार त्रिपाठी
आयुक्त कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधि0
श्रम न्यायालय सतना म0प्र0

न्यायालय, आयुक्त कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, श्रम न्यायालय सतना म0प्र0
प्रकरण कमांक 21/25 डब्लू सी वि0
बाला राम कुशवाहा व अन्य
- बनाम-
मोहम्मत इदरीश व अन्य

सूचना-पत्र

उपरोक्त प्रकरण में आपको / सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मृतक स्व0 नीरज कुशवाहा श्रमिक का मो. इदरीश के कार्य दौरान दिनांक 02.12.20 को दुर्घटना में मृत्यु हो गई है व श्रमिक के नियोक्ता द्वारा रु 1623011/- मृतक के आश्रितों में वितरण के लिए जमा कराया है।
उपरोक्त प्रकरण में क्षतिपूर्ति धन के वितरण हेतु सुनवाई दिनांक 26.09.2025 को नियत की गई है।
अतः जो व्यक्ति/आप कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम की धारा 2 डी के अंतर्गत मृतक के आश्रित हों तो वह सुनवाई दिनांक 26.09.2025 को ठीक 11.00 बजे उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र एवं साक्ष्य नियमानुसार प्रस्तुत करें।
मृतक के आश्रित होने के प्रमाण हेतु स्थानीय मजिस्ट्रेट कलेक्टर या किसी शासकीय विज्ञप्ति अधिकारी द्वारा स्वयं का चित्र सत्यापित करवाकर पहचान हेतु प्रस्तुत करें।
यदि हो तो मृतक के नाबालिग बच्चों को भी साथ ले आवे। साथ ही मृतक के आश्रित का स्थानीय पंचायत या नगर पालिका का प्रमाण पत्र एवं दो गवाह भी ले आवे।
मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 11.08.25 को जारी किया गया।
अदालत की मुद्रा
अभिषेक कुमार त्रिपाठी
आयुक्त कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधि0
श्रम न्यायालय सतना म0प्र0